न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश

दावा संख्या :– 41/2016

1. हरिकिशन पिता राजू जाति गुर्जर निवासी सारण तह0 बेगूँ
2. देवबक्ष पिता राजू जाति गुर्जर निवासी सारण तह0 बेगूँ
3. घीसीबाई पुत्री राजू जाति गुर्जर निवासी सारण तह0 बेगूँ
4. फुलाबाई पुत्री राजू जाति गुर्जर निवासी सारण तह0 बेगूँ
5. रामुबाई पुत्री राजू जाति गुर्जर निवासी सारण तह0 बेगूँ
6. श्रीमति भोलीबाई पत्नि राजू जाति गुर्जर निवासी सारण तह0 बेगूँ

वादीगण

बनाम

1. श्रीमति झमकुबाई पुत्री सोला जी गुर्जर निवासी सारण तह0 बेगूँ हा.मु. पत्नी जोधा गुर्जर निवासी मेहशपुरा तहसील मांडल जिला भीलवाडा राज.
2. श्रीमति बरजीबाई पिता सोला गुर्जर निवासी सारण तह0 बेगूँ हा.मु. पत्नी नारायण गुर्जर निवासी महेशपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा राज.
3. रामचन्द्र पिता छोगा जी गुर्जर निवासी सारण तहसील बेगूँ
4. भगवानलाल पिता छोगा जी गुर्जर निवासी सारण तहसील बेगूँ
5. पोखर पिता छोगा गुर्जर निवासी सारण तह0 बेगूँ
6. सजनी पिता छोगा गुर्जर निवासी सारण तह0 बेगूँ
7. रामू पिता छोगा गुर्जर निवासी सारण तह0 बेगूँ
8. देउ पिता छोगा गुर्जर निवासी सारण तह0 बेगूँ
9. नानीबाई पिता छोगा गुर्जर निवासी सारण तह0 बेगूँ
10. प्यारीबाई बेवा छोगा गुर्जर निवासी सारण तह0 बेगूँ
11. रतनलाल पिता भैरू गुर्जर निवासी सारण तह0 बेगूँ ना.बा.
    जरिये माता भैरीबाई पत्नि भैरू गुर्जर निवासी सारण तह0 बेगूँ
12. श्रीमति भैरीबाई पत्नि भैरू गुर्जर निवासी सारण तह0 बेगूँ
13. लादीबाई पुत्री हेमा गुर्जर निवासी सारण तह0 बेगूँ
14. श्रीमति रूकमाबाई पत्नि हेमा गुर्जर निवासी सारण तह0 बेगूँ
15. श्रीमति ठम्मा पत्नि बालु गुर्जर निवासी सारण तह0 बेगूँ
16. सोहनी पुत्री बालु गुर्जर निवासी सारण तह0 बेगूँ
17. जमना पुत्री बालु गुर्जर निवासी सारण तह0 बेगूँ
18. धापू पुत्री बालु गुर्जर निवासी सारण तह0 बेगूँ
19. प्रेम पुत्री बालु गुर्जर निवासी सारण तह0 बेगूँ
20. भैरूलाल पिता बालु गुर्जर निवासी सारण तह0 बेगूँ
21. अमरा पिता भोजा गुर्जर निवासी सारण तह0 बेगूँ
22. खाना पिता भोजा गुर्जर निवासी सारण तह0 बेगूँ
23. रामा पिता भोजा गुर्जर निवासी सारण तह0 बेगूँ
24. कालू पिता भोजा गुर्जर निवासी सारण तह0 बेगूँ
25. श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार साहब बेगूँ
26. श्री राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर महोदय जी चितौडगढ

प्रतिवादीगण

उपस्थित ::– श्री इफ्तेखार अजमेरी
अधिवक्ता वादीगण

निर्णय दिनांक ::– 17.12.2024

<u>निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53–88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

वादीगण का वादपत्र इस प्रकार से है कि मौजा सारण पटवार हल्का मोतीपुरा में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त में निम्न कृषि आराजीयात स्थित है जिन पर

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

...ण एवं प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। ...जीयात का विवरण निम्न प्रकार से है:–

खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में
140(163)	146	0.3800
	148	0.2900
	166	0.3800
	323	1.6400
	336	0.1000
	337	0.0200
	347	0.5800
	371	0.9100
	372	0.6800
	373	1.1600
	374	0.1100
	375	1.7500
	388	0.7300
	कीता–13	कुल रकबा 8.7300 हैक्टर

उक्त खाता संख्या 140(163) में अंकित उक्त आराजीयात में वादीगण हरिकिशन, देवबक्ष पिता राजू गुर्जर का 1/3 हक हिस्सा निहित है, प्रतिवादी सं. 13 व 14 का 1/25 हक हिस्सा, प्रतिवादी सं. 10,11 का 1/25 हक हिस्सा , प्रतिवादी सं. 3 से 10 तक का 8/225 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 का 1/25 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 2 का 1/25 हक हिस्सा निहित है।

खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में
141(175)	344	0.1300
	345	0.8000
	कीता–2	कुल रकबा 0.9300 हैक्टर

उक्त खाता संख्या 141 जिसके नये नंबर 175 बने की उक्त वर्णित आराजी में वादीगण हरिकिशन, देवबक्ष पिता राजू गुर्जर का 1/10–1/10 हक हिस्सा निहित है प्रतिवादी सं. 1 व 2 प्रत्येक का 2/15 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 से 10 का 7/80 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 11 व 12 का 1/80 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 15 से 24 तक का 1/2 हिस्सा निहित है एवं इसी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हक हिस्से अनुसार उक्त आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है।

यह कि प्रतिवादी सं. एक व दो उक्त आराजीयात में निहित अपने हक हिस्से की भूमि को बिना विधिवत रूप से विभाजन कराये विक्रय एवं हक त्याग के माध्यम से भूमि का हस्तान्तरण करना चाह रही है एवं इस हेतु प्रतिवादी सं. एक व दो भूमि को अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित करने के लिये लगातार प्रयासरत है। वादीगण को इसकी जानकारी होने पर वादीगण द्वारा प्रतिवादी सं. एक व दो को बिना भूमि का विधिवत रूप से विभाजन कराये विक्रय या हक त्याग के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं करने बाबत दिनांक 22.02.2016 को निवेदन किया गया लेकिन प्रतिवादी सं. एक व दो द्वारा इन्कार कर बिना विभाजन कराये ही भूमि का हस्तांतरण अन्य व्यक्ति को करने पर आमादा होने से वादीगण की ओर से यह वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो जाने वादीगण की ओर से वादवर्णित भूमि मे अपने निहित हक हिस्से का अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के आधार पर विभाजन करा वादीगण का खाता अलग से अंकित किये जाने बाबत न्यायालय श्रीमान आप के समक्ष यह वादपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

यह कि वाद कारण दिनांक 22.06.2016 को भूमि बिना विधिवत रूप से विभाजन कराये भूमि
हस्तान्तरण प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा किये जाने की धमकी दिये जाने के कारण उत्पन्न हुआ है
इसलिए प्रतिवादी सं. 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराये जाने हेतु यह वादपत्र
प्रस्तुत है कि प्रतिवादी सं. एक व दो बिना भूमि का विधिवत रूप से विभाजन कराये भूमि को विक्रय
या हक त्याग या अन्य सिकी प्रकार से किसी अजनबी व्यक्ति को किसी प्रकार से हस्तान्तरण न तो
स्वयं करें एवं न ही अपने किसी परिवार के अन्य सदस्य आदि से करावें न ही वादीगण के उपयोग
उपभोग मे किसी प्रकार की कोई बाधा या दखल न तो स्वयं उत्पन्न करें न किसी अन्य से करावें।

यह कि वाद वर्णित उक्त आराजी में खाता संख्या 140 की आराजीयात में वादीगण
हरिकिशन, देवबक्ष पिता राजू गुर्जर का 1/3 हिस्सा एवं खाता संख्या 141 नये खाता संख्या 175
की आराजीयात में वादीगण हरिकिशन, देवबक्ष पिता राजू गुर्जर का 1/10–1/10 हिस्सा निहित है
एवं इस भूमि कावादीगण के पक्ष में अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के आधार पर विभाजन किया
जाकर राजस्व रेकार्ड में खाता अलग से अंकित किया जाना न्यायोचित एवं विधि सम्मत होगा एवं
इस हेतु वादीगण की ओर से यह वादपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

यह कि वाद वर्णित उक्त आराजीयात में से आराजयीत के सह खातेदार मृतक भैरूलाल पिता छोगा गुर्जर निवासी सारण (प्रतिवादी सं. 11 के पिता एवं प्रतिवादी सं. 12 के पति) द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि मे से रकबा डेढ बीघा भूमि निम्न पाडोस मध्य की को दिनांक 30.05.1995 को वादीगण पिता एवं पति स्व. राजू पिता सोला गूर्जर निवासी सारण को 16000/– सोलह हजार रूपये में विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया तब से ही निम्न पाडोस मध्य की डेढ बीघा भूमि भैरूलाल पिता छोगा की खाते की पर वादीगण के पिता एवं उनके पश्चात वादीगण लगातार काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। मृतक भेरूलाल पिता छोगा द्वारा इस विक्रय का विक्रय इकरार 100/– के स्टाम्प पर उक्त दिनांक को ही वादीगण के पिता के पक्ष में निष्पादित कर दिया जिस पर मृतक भैरू के भाई एवं माता की भी सहमति थी लेकिन विक्रय पत्र का निष्पादन होने से पूर्व ही भैरू गुर्जर का देहान्त हो जाने से विक्रय पत्र का पंजीयन नहीं हो सका था, इसलिए वादीगण की ओर से उक्त डेढ बीघा भूमि को भी अपने नाम पर एवं प्रतिवादी सं. 12 से 15 के नाम पर घोषित कराने हेतु भी यह वादपत्र प्रसतुत किया जा रहा है। डेढ बीघा भूमि के पाडोस निम्न प्रकार है :–

पूर्व– माना अमरचंद पिता लाला गुजर्र का खेत
पश्चिम– गोपी पिता उदा गुर्जर का खेत
उत्तर – भैरू पिता हरिराम गुर्जर का खेत
दक्षिण– अमरचंद्र , माना पिता लाला गूर्जर का खेत

यह कि प्रतिवादी सं. 11 व 12 वादीगण के पिता द्वारा कयशुदा एवं वादीगण की कब्जेशुदा उक्त डेढ बीघा भूमि को अपने नाम पर अंकित होने के आधार पर इस भूमि का किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय कर सकते है, इसलिए प्रतवादी सं. 11 व 12 को भी स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द कराये जाने बावत यह वादपत्र प्रस्तुत है कि प्रतिवादी सं. 11 व 12 वाद वर्णित आराजीयातमे से उनके हिस्से में अंकित वादपत्र की कलम सं. 6 में अंकित पाडोस मध्य की उक्त डेढ बीघा भूमि का किसी अन्य व्यक्ति को रहन बेचान या बक्षीश आदि किसी प्रकार से हस्तान्तरण न तो स्वयं करें एवं न ही किसी अपने परिवार के सदस्य नौकर या ऐजेन्ट आदि के माध्य से करवावें।

सभी प्रतिवादीगण सह खातेदार होने से एवं प्रतिवादी सं. 25 व 26 कानूनन आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाये गये है।

अतः वादीगण न्यायालय श्रीमान आपसे निम्न अनुतोष की प्रार्थना करते है कि :–

क– यह कि वादपत्र वादीगण डिकी फरमाया जाकर वादपत्र की कलम सं. एक में अंकित खाता सं. 140 नये खाता संख्या 163 में वर्णित आराजीयात में वादीगण हरिकिशन व देवबक्ष पिता राजू गुर्जर का निहित हक हिस्सा 1/3 व खाता संया 141 जिसके नये खाता संख्या 175 में अंकित आराजीयात में हरिकिशन का हिस्सा 1/10, देवबक्ष का 1/10 हक हिस्सा निहित का अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के आधार पर विभाजन पक्ष वादीगण कराया जाकर विभाजन मे प्राप्त होने वाली भूमि का खाता इनके नाम पर अलग से राजस्व रेकार्ड में अंकित करने की डिकी प्रदान कराई जावें।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

यह कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा के आदेश से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादी सं. एक व दो वादवर्णित आराजीयात में अपने निहीत हक हिस्से की भूमि को बिना आराजीयात का विधिवत विभाजन कराये विक्रय दान हक त्याग या अन्य किसी प्रकार से किसी अजनबी व्यक्ति को हस्तान्तरण न तो स्वयं करें एवं न ही अपने किसी परिवार के अन्य सदस्य नौकर या ऐजेन्ट आदि के माध्य से करावें।

ग– यह कि वादपत्र की कलम सं. 6 में अंकित पाडोस मध्य की डेढ बीघा भूमि जो वादीगण के पिता द्वारा प्रतिवादी सं. 11 के पिता व 12 के पति से क्रय की गई है की खातेदारी की घोषणा पक्ष वादीगण की जाकर भूमि का खाता वादीगण के नाम पर अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करवाया जावें।

घ– यह कि प्रतिवादी सं. 11 व 12 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि प्रतिवादी सं. 11 व 12 वादपत्र की कलम सं. 6 में अंकित पाडोस मध्य की डेढ बीघा भूमि जो उनके नाम पर राजस्व रेकार्ड में र्द है को किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार से हस्तान्तरण न तो स्वयं करें एवं न ही किसी अन्य से करावें।

ड– कि अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ पक्ष वादीगण हो वादीगण के पक्ष में प्रदान कराया जावे एवं खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादी सं. एक व दो से दिलाया जावें।

वादीगण का वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रकरण में प्रतिवादीगण 1 से 25 तक बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये। प्रकरण में प्रतिवादी प्रतिनिधि राज्य सरकार फोर्मल पक्षकार होने से उनका जवाब बंद किया गया तथा प्रकरण में साक्ष्य वादीगण हेतु शपथ पत्र वादी देवबक्ष पिता राजू गुर्जर, हरिकिशन पिता राजू गुर्जर के पेश किये गये, वादीगण द्वारा मुख्य परीक्षण में पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज को प्रदर्श कराया तथा अपने बयान को कलमबद्ध करा वादीगण की साक्ष्य पूर्ण की गई। पत्रावली में वादीगण की एक तरफा साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात प्रकरण में अधिवक्ता वादीगण की एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया, अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपनी बहस पूर्णतया वादपत्र के अनुसार करते हुए वादीगण के पक्ष में भूमि की घोषणा विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबंद किये जाने हेतु निवेदन किया। हमार द्वारा बहस अधिवक्ता वादीगण की एक तरफा सुनी गई तथा पत्रावली में प्रस्तुत सभी प्रदर्श दस्तावेज का अवलोकन भी हमारे द्वारा किया गया, जो निम्न प्रकार से है:–

प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी मौजा सारण प0ह0 मोतपुरा सम्वत 2069 से 2072 तक की पेश की है इस जमाबंदी का अवलोकन से पाया कि वाद वर्णित आराजी संख्या 146, 148, 166, 323, 336, 337, 347, 371, 372, 373, 374, 375, 388 कीता– 13 रकबा 8.7300 हैक्टर भूमि में अन्य सहखातेदारान के साथ लालस्याही से नोट अंकित है कि ना0सं0 610 दिनांक 1905.2015 से विरासत से धापू बेवा सोला के वजाय श्री हरिकिशन देवबक्ष, घीसीबाई, फूलाबाई, रामूबाई पिता राजू श्रीमती भोलबाई पत्नी राजू हिस्सा 1/25 हि0व0 अंकित किया हुआ है। प्रदर्श–2 नकल जमाबंदी मौजा सारण प0ह0 मोतीपुरा सं0 2069 से 2072 में अंकित आराजी संख्या 344, 345 कीता–2 कुल रकबा 0.9300 हैक्टर भूमि मे भी लालस्याही से नोट है कि ई.नं. 626 दिनांक 20.08.2015 विरासत राजू फोत की बजाय श्री हरिकिशन व देवबक्ष घीसीबाई फूंलाबाई रामुबाई पिता राजू मु0 भोलीबाई पत्नी स्व0 राजू के नाम दर्ज है। प्रदर्श–3 व प्रदर्श–4 नक्शाट्रेस आराजी का प्रस्तुत किया है।

प्रदर्श–5 मूल दस्तावेज 100 रूपये के स्टाम्प पर आराजी बेचान का खत है, जिसमें अंकित है कि श्री भैरूलाल पिता छोगा जी जाति गुजर निवासी सारण वाला श्री राजू पिता सोला जी गुजर निवासी सारण वाला को मेरा खेत बेचान किया ढाणिया का खेत जिसका नाप डेढ बीघा है जिसको रूपये अक्षरे 16000/– सोलह हजार रूपया में बेचा है। जो सही है। और मैने बिगर नशे पते लिखकर दिया जो सही है और अब मे राज पंचा में जाउ तो झूठो होउ और जो ये खेत बेचा जो भैरू पिता छोगा गुजर का हिस्सा बेचा है। और बदलूगां तो 32000/– रूपये बत्तीस हजार रूपया दूगां।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

स्टाम्प पर भैरू पिता छोगा के खेत का पाडोस में पूर्व में माना अमरचन्द, उत्तर में भैरू हरिराम दक्षिण में माना अमरचन्द एवं पश्चिम में गोपी पुत्र उदा का अंकन किया हुआ होकर स्टाम्प पर भैरूलाल के हस्ताक्षर के साथ अन्य हस्ताक्षर अंकित है तथा जो नोट दिए गये है उनकी भी विगत पृष्ट भाग के अंत में दी गई है। स्टाम्प के अवलोकन से पाया जाता है कि भूमि का विक्रय तो किया है, किन्तु यह स्टाम्प पंजीकृत नहीं है, यानि विक्रय अपंजीकृत है साथ ही पडोस के मध्य की भैरू की भूमि के क्या आराजी संख्या थी उसका उल्लेख इस स्टाम्प में नहीं किया गया है, साथ ही वर्णित आराजीयात संयुक्त खातेदारी की आराजी थी जिसमें भैरू का किस आराजी पर हक हिस्सा होकर कब्जा था यह तथ्य स्पष्ट नहीं है, वादीगण का कथन है कि इस विक्रय को पंजीकृत कराये जाने से पूर्व ही भैरू की मृत्यु हो गई थी, तो उसके वारिसान से भूमि खरीद का पंजीकृत विक्रय पत्र कराया जा सकता है, इस अपंजीकृत विक्रय पत्र पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जा सकता है, राजस्व हानि होती है।

प्रदर्श–6 नकल जमाबंदी मौजा सारण प0ह0 मोतीपुरा सम्वत 2073–2076 में वर्णित आराजी संख्या 146, 148, 166, 323, 336, 337, 347, 371, 372, 373, 374, 375, 388 कीता– 13 रकबा 8.7300 हैक्टर भूमि में श्री हरिकिशन देवबक्ष पिता राजू 1/3 हक अन्य सहखातेदारान के साथ दर्ज किया हुआ है। प्रदर्श–7 नक्शाट्रेस आराजी का है, तथा प्रदर्श–8 नकल जमाबंदी मौजा सारण की सं0 2078 की पेश की है जिसमें अंकित आराजी संख्या 344, 345, कीता–2 कुल रकबा 0.9300 हैक्टर भूमि में देवबक्ष पुत्र राजू का हिस्सा 1/10 व हरिकिशन पुत्र राजू का हिस्सा 1/10 दर्ज अंकित है। इन जमाबंदी के अवलोकन से पाया जाता है कि प्रकरण मे हरिकिशन व देवबक्ष का हिस्सा अन्य वादीगण के द्वारा अपने हक का त्याग किये जाने से बढा है, जो दर्ज जमाबंदी है, इस दर्ज हक हिस्से तक का विभाजन वादीगण अ0धा0 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत करा पाने के ही अधिकारी पाये जाते है अन्य दाद प्राप्त कर पाने के वादीगण अधिकारी नहीं है, वादीगण का वादपत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादीगण का अन्तर्गत धारा 88–53–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियन का आंशिक स्वीकार किया जाता है, दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है। मौजा सारण प0ह0 मोतीपुरा सम्वत 2073–2076 में वर्णित आराजी संख्या 146, 148, 166, 323, 336, 337, 347, 371, 372, 373, 374, 375, 388 कीता– 13 रकबा 8.7300 हैक्टर भूमि में श्री हरिकिशन देवबक्ष पिता राजू 1/3 हक व अन्य प्रतिवादीगण सहखातेदारान का हक हिस्सा जमाबंदी अनुसार तथा मौजा सारण प0ह0 मोतीपुरा की आराजी संख्या 344, 345, कीता–2 कुल रकबा 0.9300 हैक्टर भूमि में देवबक्ष पुत्र राजू का हिस्सा 1/10 व हरिकिशन पुत्र राजू का हिस्सा 1/10 अंकितानुसार एवं अन्य प्रतिवादीगण सहखातेदारान का हक हिस्सा जमाबंदी अनुसार रखते हुए आराजी का विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार बेगूँ को 2000/– अक्षरे दो हजार रूपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है उक्त आदेश की पालना में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य आराजी का अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के अनुसार एवं मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव मय नक्शाट्रेस के साथ दो प्रति में इस न्यायालय में भिजवावे। विभाजन के पश्चात प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने पर आदेश दिया जावेगा। प्राथमिक डिक्री तैयार की जाकर प्राथमिक डिक्री प्रति तहसीलदार बेगूँ को पालनार्थ भिजवाई जावें।

उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बेगूँ के पत्र कमांक/राजस्व कोर्ट/2024/874 दिनांक 09.12.2024 से फर्द बंटवारा इस न्यायालय को भिजवाई गई जिस पर वकील वादी एक तरफा वहस को ध्यानपूर्वक सुना गया, अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट को सही होना स्वीकार करते हुए दावा अंतिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया है। फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा वादी का स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा सारण पटवार मोतीपुरा की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है:–

खाता सख्या :– 177

1– श्री हरिराम पिता राजू गुर्जर हिस्सा 1/2, देवबक्ष पिता राजू गुर्जर हिस्सा 1/2 सा. देह खातेदार

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
146	0.3800	चाही2 0.2200	6.09
		जाव2 0.2200	2.19
148	0.2900	नहरी	5.44
166	0.3800	बीड	0.94
347 मेसे	0.2000	चाही2	6.77
371 मेसे	0.2100	चाही2	05.81
375 मेसे	1.3000	बीड	3.20
388 मेसे	0.1100	बीड	0.27
कीता— 07	2.8700 हैक्टर		30.71

2— श्रीमति देउबाई पिता छोगा हिस्सा 1/30, नानीबाई पिता छोगा हिस्सा 1/30, प्यारीबाई पति छोगा हिस्सा 1/30, पोखर पिता छोगा हिस्सा 1/6 रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा पारसोली, भगवानलाल पिता छोगा हिस्सा 1/6 रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा पारसोली, भेरीबाई पति भेरू गुर्जर हिस्सा 1/60 रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा पारसोली, रतनलाल पिता भेरू गुर्जर हिस्सा 1/6 रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा पारसोली, रामचन्द्र पिता छोगा हिस्सा 1/6 रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा पारसोली, रामूबाई पिता छोगा हिस्सा 1/30, लादी पिता हेमा गुर्जर हिस्सा 3/10, रहन पंजाब नेशनल बैंक शाखा राजगढ, सजनी पिता छोगा हिस्सा 1/30 रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा पारसोली, सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
347 मेसे	0.3800	चाही। 0.1600	5.41
		जाव। 0.1800	3.11
		बीड 0.0400	0.10
371 मेसे	0.7000	चाही2	19.38
372	0.6800	चाही2	18.82
373	1.1600	बीड	2.87
374	0.1100	बीड	0.27
375 मेसे	0.4500	बीड	1.12
388 मेसे	0.6200	बीड	1.53
323	1.6400	नहरी	30.75
कीता— 08	5.7400 हैक्टर	—	83.36

श्रीमति देउबाई पिता छोगा हिस्सा 1/45, देवबक्ष पिता राजू गुर्जर हिस्सा 1/6 नानीबाई पिता छोगा हिस्सा 1/45, प्यारीबाई पति छोगा हिस्सा 1/45, पोखर पिता छोगा हिस्सा 1/9 रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा पारसोली, भगवानलाल पिता छोगा हिस्सा 1/9 रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा पारसोली, भेरीबाई पति भेरू गुर्जर हिस्सा 1/90 रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा पारसोली, रतनलाल पिता भेरू गुर्जर हिस्सा 1/90 रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा पारसोली, रामचन्द्र पिता छोगा हिस्सा 1/9 रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा पारसोली, रामूबाई पिता छोगा हिस्सा 1/45, लादी पिता हेमा गुर्जर हिस्सा 1/5, रहन पंजाब नेशनल बैंक शाखा राजगढ, सजनी पिता छोगा हिस्सा 1/45 रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा पारसोली, हरिराम पिता राजू गुर्जर हिस्सा 1/6, रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा पारसोली सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
336	0.1000	बीड	0.25
337	0.0200	आं चा.	—
कीता— 02	0.1200हैक्टर	—	0.25

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

खाता — 275

1— [illegible] पिता राजू गुर्जर हिस्सा 1/2 रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा पारसोली देवबक्ष पिता [illegible] गुर्जर हिस्सा 1/2 सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
345 मेसे	0.1860	चाही I	6.29
कीता— 01	0.1860 हैक्टर		6.29

2— अमरा पिता भोजा गुर्जर हिस्सा 1/8 रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा पारसोली, कालू पिता भोजा गुर्जर हिस्सा 1/8 खाना पिता भोजा गुर्जर हिस्सा 1/8, जमकू पिता सोला गुर्जर हिस्सा 1/12, [illegible]बाई पति स्व. बालू गुर्जर हिस्सा 1/48, देऊबाई पिता छोगा गुर्जर हिस्सा 1/64, धापूबाई पिता बालू गुर्जर हिस्सा 1/48, नारायणीबाई पति रामा गुर्जर हिस्सा 1/8 रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा पारसोली, प्यारीबाई पति छोगा हिस्सा 1/64, पोखर पिता छोगा हिस्सा 1/64, बरजी पिता सोला हिस्सा 1/12 भगवान पिता छोगा हिस्सा 1/64, भैरूलाल पिता बालू हिस्सा 1/12, भेरीबाई पति भैरू हिस्सा 1/128, रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा पारसोली, ना.बा. रतनलाल पिता भैरू स.प. माता भेरीबाई हिस्सा 1/128 रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा पारसोली, रानूबाई पिता छोगा हिस्सा 1/64 रामचन्द्र पिता छोगा हिस्सा 1/64, रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा पारसोली, सजनी पिता छोगा हिस्सा 1/64, रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा पारसोली, हेना पिता सोला हिस्सा1/12 जाति गुर्जर सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
344	0.1300	बीड	0.32
345 मेसे	0.6140	चाही I 0.3740	6.29
		जाव2 0.2400	4.15
कीता— 01	0.7440 हैक्टर		17.12

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 17.12.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई ।

(सत्यवी नरेश)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूं

मूलवाद में अंतिम डिकी
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चित्तौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश

दावा संख्या :– 41/2016

1. हरिकिशन पिता राजू जाति गुर्जर निवासी सारण तह0 बेगूँ
2. देवबक्ष पिता राजू जाति गुर्जर निवासी सारण तह0 बेगूँ
3. धीसीबाई पुत्री राजू जाति गुर्जर निवासी सारण तह0 बेगूँ
4. फुलाबाई पुत्री राजू जाति गुर्जर निवासी सारण तह0 बेगूँ
5. रामुबाई पुत्री राजू जाति गुर्जर निवासी सारण तह0 बेगूँ
6. श्रीमति भोलीबाई पत्नि राजू जाति गुर्जर निवासी सारण तह0 बेगूँ

वादीगण

बनाम

1. श्रीमति झमकुबाई पुत्री सोला जी गुर्जर निवासी सारण तह0 बेगूँ हा.मु. पत्नी जोधा गुर्जर निवासी मेहशपुरा तहसील मांडल जिला भीलवाडा राज.
2. श्रीमति बरजीबाई पिता सोला गुर्जर निवासी सारण तह0 बेगूँ हा.मु. पत्नी नारायण गुर्जर निवासी महेशपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा राज.
3. रामचन्द्र पिता छोगा जी गुर्जर निवासी सारण तहसील बेगूँ
4. भगवानलाल पिता छोगा जी गुर्जर निवासी सारण तहसील बेगूँ
5. पोखर पिता छोगा गुर्जर निवासी सारण तह0 बेगूँ
6. सजनी पिता छोगा गुर्जर निवासी सारण तह0 बेगूँ
7. रामू पिता छोगा गुर्जर निवासी सारण तह0 बेगूँ
8. देउ पिता छोगा गुर्जर निवासी सारण तह0 बेगूँ
9. नानीबाई पिता छोगा गुर्जर निवासी सारण तह0 बेगूँ
10. प्यारीबाई बेवा छोगा गुर्जर निवासी सारण तह0 बेगूँ
11. रतनलाल पिता भैरू गुर्जर निवासी सारण तह0 बेगूँ ना.बा. जरिये माता भैरीबाई पत्नि भैरू गुर्जर निवासी सारण तह0 बेगूँ
12. श्रीमति भैरीबाई पत्नि भैरू गुर्जर निवासी सारण तह0 बेगूँ
13. लादीबाई पुत्री हेमा गुर्जर निवासी सारण तह0 बेगूँ
14. श्रीमति रूकमाबाई पत्नि हेमा गुर्जर निवासी सारण तह0 बेगूँ
15. श्रीमति ठम्मा पत्नि बालु गुर्जर निवासी सारण तह0 बेगूँ
16. सोहनी पुत्री बालु गुर्जर निवासी सारण तह0 बेगूँ
17. जमना पुत्री बालु गुर्जर निवासी सारण तह0 बेगूँ
18. धापू पुत्री बालु गुर्जर निवासी सारण तह0 बेगूँ
19. प्रेम पुत्री बालु गुर्जर निवासी सारण तह0 बेगूँ
20. भैरूलाल पिता बालु गुर्जर निवासी सारण तह0 बेगूँ
21. अमरा पिता भोजा गुर्जर निवासी सारण तह0 बेगूँ
22. खाना पिता भोजा गुर्जर निवासी सारण तह0 बेगूँ
23. रामा पिता भोजा गुर्जर निवासी सारण तह0 बेगूँ
24. कालू पिता भोजा गुर्जर निवासी सारण तह0 बेगूँ
25. श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार साहब बेगूँ
26. श्री राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर महोदय जी चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री इफ्तेखार अजमेरी की उपस्थिति में तथा प्रतिवादी अधिवक्ता श्री .. .. की अनुपस्थिती में वाद अ.धा .88–53–188 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 17.12.2024 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष प्राथमिक निपटारे हेतु उपस्थित होने से वादीगण का वादपत्र सिद्ध होने से स्वीकार किया जाता है तथा निम्न प्रकार से अंतिम डिकी किया जाने का आदेश दिया जाता है:–

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का तर्क ... अनुसार स्वीकार किया जाता है, तथा अंतिम डिक्री जारी किया जाता है, मौजा ... तहसील ... कपासन की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है।

खाता संख्या :– 177

1– श्री हरिराम पिता राजू गुर्जर हिस्सा 1/2, देवबक्ष पिता राजू गुर्जर हिस्सा 1/2 सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
146	0.3800	चाही20 2200	6.09
		जाव20 2200	2.19
148	0.2900	नहरी	5.44
166	0.3800	बीड	0.94
347 मेसे	0.2000	चाही2	6.77
371 मेसे	0.2100	चाही2	05.81
375 मेसे	1.3000	बीड	3.20
388 मेसे	0.1100	बीड	0.27
कीता– 07	2.8700 हैक्टर		30.71

2– श्रीमति देउबाई पिता छोगा हिस्सा 1/30, नानीबाई पिता छोगा हिस्सा 1/30, प्यारीबाई पति छोगा हिस्सा 1/30, पोखर पिता छोगा हिस्सा 1/6 रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा पारसोली, भगवानलाल पिता छोगा हिस्सा 1/6 रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा पारसोली, भैरीबाई पति भेरू गुर्जर हिस्सा 1/60 रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा पारसोली, रतनलाल पिता भेरू गुर्जर हिस्सा 1/6 रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा पारसोली, रामचन्द्र पिता छोगा हिस्सा 1/6 रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा पारसोली, रामूबाई पिता छोगा हिस्सा 1/30, लादी पिता हेमा गुर्जर हिस्सा 3/10, रहन पंजाब नेशनल बैंक शाखा राजगढ, राजनी पिता छोगा हिस्सा 1/30 रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा पारसोली, सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
347 मेसे	0.3800	चाही। 0.1600	5.41
		जाव। 0.1800	3.11
		बीड 0.0400	0.10
371 मेसे	0.7000	चाही2	19.38
372	0.6800	चाही2	18.82
373	1.1600	बीड	2.87
374	0.1100	बीड	0.27
375 मेसे	0.4500	बीड	1.12
388 मेसे	0.6200	बीड	1.53
323	1.6400	नहरी	30.75
कीता– 08	5.7400 हैक्टर	—	83.36

श्रीमति देउबाई पिता छोगा हिस्सा 1/45, देवबक्ष पिता राजू गुर्जर हिस्सा 1/6 नानीबाई पिता छोगा हिस्सा 1/45, प्यारीबाई पति छोगा हिस्सा 1/45, पोखर पिता छोगा हिस्सा 1/9 रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा पारसोली, भगवानलाल पिता छोगा हिस्सा 1/9 रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा पारसोली, भैरीबाई पति भेरू गुर्जर हिस्सा 1/90 रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा पारसोली, रतनलाल पिता भेरू गुर्जर हिस्सा 1/90 रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा पारसोली, रामचन्द्र पिता छोगा हिस्सा 1/9 रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा पारसोली, रामूबाई पिता छोगा हिस्सा 1/45, लादी पिता हेमा गुर्जर हिस्सा 1/5, रहन पंजाब नेशनल बैंक शाखा राजगढ, राजनी पिता छोगा हिस्सा 1/45 रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा पारसोली, हरिराम पिता राजू गुर्जर हिस्सा 1/6, रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा पारसोली सा. देह खातेदार

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

...राजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
336	0.1000	बीड	0.25
337	0.0200	आं मा.	—
कीता— 02	0.1200हैक्टर		0.25

खाता सख्या :— 175

1— श्री हरिराम पिता राजू गुर्जर हिस्सा 1/2, रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा पारसोली देवका पिता राजू गुर्जर हिस्सा 1/2 सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
345 मेसे	0.1860	चाही।	6.29
कीता— 01	0.1860 हैक्टर		6.29

2— अमरा पिता भोजा गुर्जर हिस्सा 1/8 रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा पारसोली, कालू पिता भोजा गुर्जर हिस्सा 1/8 खाना पिता भोजा गुर्जर हिस्सा 1/8, जमकू पिता सोला गुर्जर हिस्सा 1/12, ठम्माबाई पति स्व. बालू गुर्जर हिस्सा 1/48, देउबाई पिता छोगा गुर्जर हिस्सा 1/64, धापूबाई पिता बालू गुर्जर हिस्सा 1/48, नारायणीबाई पति रामा गुर्जर हिस्सा 1/8 रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा पारसोली, प्यारीबाई पति छोगा हिस्सा 1/64, पोखर पिता छोगा हिस्सा 1/64, बरजी पिता सोला हिस्सा 1/12 भगवान पिता छोगा हिस्सा 1/64, भैरूलाल पिता बालू हिस्सा 1/12, भेरीबाई पति भैरू हिस्सा 1/128, रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा पारसोली, ना.बा. रतनलाल पिता भैरू स.प. माता भेरीबाई हिस्सा 1/128 रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा पारसोली, रामूबाई पिता छोगा हिस्सा 1/64 रामचन्द्र पिता छोगा हिस्सा 1/64, रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा पारसोली, सजनी पिता छोगा हिस्सा 1/64, रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा पारसोली, हेमा पिता सोला हिस्सा1/12 जाति गुर्जर सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
344	0.1300	बीड	0.32
345 मेसे	0.6140	चाही। 0.3740	6.29
		जाव2 0.2400	4.15
कीता— 01	0.7440 हैक्टर		17.12

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 17.12.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई ।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूं

क्रमांक/सरिश्ता/2024/ दिनांक:—

प्रतिलिपि दावा संख्या 41/2016 व अनवान हरिकिशन बनाम श्रीमति झमकूबाई वगै वाद अ0धा0 88—53—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में जारी अंतिम डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगूं पालनार्थ को दी जाती है ।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं जिला चित्तौड़गढ़